

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

क्र. 492/एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन की महिला कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश लागू करने हेतु अवकाश नियम में संशोधन

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिला शासकीय कर्मचारियों को उनके 18 वर्ष से कम उम्र के 2 ज्येष्ठ जीवित संतानों के पालन-पोषण हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन की कालावधि के लिए संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। उक्त अवकाश के संबंध में मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे -

- (1) यह अवकाश एक कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी एक अवसर हेतु अवकाश की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सीमा 5 दिन की होगी।
- (3) स्वीकृति हेतु संतान पालन अवकाश अर्जित अवकाश के समान मानी जाएगी तथा उसी प्रकार से स्वीकृत की जावेगी। उक्त अवकाश हेतु तीन सप्ताह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यद्यपि विशेष परिस्थितियों में 10 दिन से कम अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु तीन सप्ताह की सीमा शिथिल की जा सकेगी।
- (4) संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन अवकाश नियम, 2010 के प्रपत्र-1अ में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (5) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा अवकाश नियम के अंतर्गत लागू किसी अन्य अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।
- (6) अवकाश अवधि के लिए अवकाश में प्रस्थान करने के ठीक पूर्व लागू दर से अवकाश वेतन की पात्रता होगी।
- (7) संतान पालन अवकाश के समय केवल जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आवेदक को आवेदन पत्र के कालम-10 पर आवेदित अवकाश का स्पष्ट कारण अंकित करना होगा। यह अवकाश बच्चे के पालन-पोषण अथवा उसके विशिष्ट आवश्यकताओं जैसे कि परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा।


- (8) संतान पालन अवकाश का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा, किन्तु सामान्यतः कार्यालय का सुचारु संचालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा उक्त अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में विधिवत अवकाश स्वीकृत होने के पश्चात् ही महिला शासकीय कर्मचारी द्वारा अवकाश पर प्रस्थान किया जाएगा।
- (9) अवकाश के पहले या बाद में पड़ने वाले राजपत्रित या साप्तहिक अवकाश स्वयमेव अवकाश के साथ संयोजित माने जावेंगे तथा अवकाश अवधि में पड़ने वाले ऐसे अवकाश संतान पालन अवकाश की गणना में शामिल किये जाएंगे।
- (10) संतान पालन अवकाश स्वीकृति का पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा शेष प्रत्यायोजन अर्जित अवकाश के समान होगा।
- (11) संतान पालन अवकाश लेखा का संधारण संलग्न प्रपत्र में किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन के संबंध में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018 आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

संलग्न :-

- (1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2010 में संशोधन की अधिसूचना
- (2) संतान पालन अवकाश लेखा का प्रपत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव 5/10/2018

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
 2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
 3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, अटल नगर
 4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
 5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
 6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, अटल नगर
 7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
 8. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, अटल नगर
 9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, अटल नगर
 10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
 11. राज्य सूचना आयुक्त, अटल नगर
 12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, अटल नगर
 13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, अटल नगर
 14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, अटल नगर
 15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
 16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
 17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, अटल नगर
- को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु
19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु


(पूजा शुक्ला)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

अधिसूचना

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर, 2018

क्रमांक एफ 2014-71-00183/वित्त/नियम/चार : भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं जो कि राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में:-

1. नियम 13 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) संतान पालन अवकाश को छोड़कर, अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1 में प्रस्तुत किया जाना चाहिये तथा संतान पालन अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि हेतु आवेदन, प्रपत्र-1अ में, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे अवकाश अथवा अवकाश में वृद्धि स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये।”

2. नियम 38-ख के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्:-

“38-ग. संतान पालन अवकाश- (1) इस नियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, महिला शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके संपूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो ज्येष्ठ जीवित संतानों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिन की कालावधि का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) अधिकार के रूप में अवकाश का दावा नहीं किया जा सकेगा।

(3) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, “संतान” से अभिप्रेत है,-

(क) अठारह वर्ष की आयु से कम की संतान (विधिक रूप से दत्तक संतान को सम्मिलित करते हुए); या

(ख) सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16-18/97-एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली संतान (आयु सीमा का कोई बंधन नहीं)।

(4) उप-नियम (1) के अधीन किसी महिला शासकीय सेवक को संतान पालन अवकाश की स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जायेगी, अर्थात्:-

(क) यह एक कैलेण्डर वर्ष में तीन बार से अधिक के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि स्वीकृत किये गये अवकाश की कालावधि, आगामी कैलेण्डर वर्ष में भी जारी रहती है तो बारी की गणना ऐसे वर्ष में की जायेगी जिसमें कि अवकाश का आवेदन किया गया था अथवा जिसमें आवेदन किये गये अवकाश का अधिक भाग आता है। कैलेण्डर वर्ष से अभिप्रेत है वर्ष के 1 जनवरी से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर तक की कालावधि।

(ख) यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तथापि, विशेष परिस्थितियों में, यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो परिवीक्षा की अवधि, उस कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए बढ़ा दी जाएगी, जिसके लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है।

(5) संतान पालन अवकाश की अवधि के दौरान, महिला शासकीय सेवक को अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्ववर्ती मास में आहरित वेतन के समान अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(6) संतान पालन अवकाश, अवकाश लेखा के विरुद्ध विकलित नहीं किया जायेगा तथा यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ संयोजित किया जा सकेगा।

(7) इस अवकाश का खाता, पृथक से संधारित किया जाएगा तथा इसकी प्रविष्टि संबंधित महिला शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका में की जाएगी।”

3. प्रपत्र 1 के पश्चात्, निम्नानुसार जोड़ा जाये, अर्थात्:-

**“प्रपत्र-1अ
(नियम 13 देखिये)**

संतान पालन अवकाश हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पदनाम
3. विभाग/कार्यालय/अनुभाग
4. संतान का नाम जिसके लिए संतान पालन
अवकाश का आवेदन किया जा रहा है
5. संतान की जन्मतिथि (जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. संतान के 18 वर्ष पूर्ण होने की तिथि
7. क्या संतान दो बड़े बच्चों में शामिल है हां/नही
8. खाते में शेष अर्जित अवकाश (आवेदन की तिथि
पर)
9. अवकाश की अवधि— दिनसे.....तक
पूर्वयोजित/अनुयोजित अवकाश, यदि कोई हो
10. आवेदित अवकाश का/के कारण
11. आवेदन की तिथि तक उपभोग की गई कुल संतान
पालन अवकाश
12. (क) क्या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मांगी गई हां/नहीं
है
(ख) यदि हां, तो अवकाश अवधि के दौरान पता
13. पिछले अवकाश से लौटने की तिथि, उस अवकाश
की प्रकृति एवं अवधि

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर.....

कर्मचारी कोड संख्या

नियंत्रक अधिकारी की अभियुक्तियां

अवकाश अनुमोदित किया जाता है/ नहीं किया जाता है

दिनांक :


हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार



(एस.के. चक्रवर्ती) 4/10/2018
संयुक्त सचिव

Government of Chhattisgarh
Finance Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar

NOTIFICATION

Atal Nagar, Dated 4th October, 2018

No. F 2014-71-00183/Finance/Rules/IV:: In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Civil Services (Leave) Rules, 2010, with effect from the date of its publication in the Official Gazette, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of Rules 13, the following shall be substituted, namely:-

"(1)An application for leave or for an extension of leave except for Child Care Leave must be made in FORM-1 and application for an extension for Child Care Leave must be made in FORM-1A, to the Competent Authority to grant such leave or extension."

2. After rule 38-B, the following shall be added, namely:-

"38-C. Child Care Leave- (1) Subject to the provisions of this rule, a woman Government servant may be granted child care leave by the Competent Authority for a maximum period of 730 days during her entire service for taking care of her two eldest surviving children.

(2) The leave cannot be claimed as a matter of right.

(3) For the purposes of sub-rule (1), "Child" means,-

(a) a child below the age of eighteen years (including legally adopted child); or

(b) a child with a minimum disability of forty percent (without any age limit) as specified in Notification No. 16-18/97-N 1.1 dated the 1st June, 2001, Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment.

(4) Grant of child care leave to a woman Government servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year. If the period of leave sanctioned also continues into the next calendar year then the spell shall be counted in such year in which the leave was applied or in which major part of the leave applied falls. Calendar year means the period commencing from 1st January to 31st December of the year.

(b) Ordinarily, it shall not be sanctioned during the probation period. However, in special circumstances if the leave is sanctioned during the probation period then the probation period shall be extended by the period equivalent to the period for which the leave has been granted.

(5) During the period of child care leave, the woman Government servant shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.

(6) Child care leave shall not be debited against the leave account and this leave may be combined with any other kind of leave.

(7) The account of this leave shall be maintained separately and entry shall be made in the service book of the concerned women Government servant."

3. After FORM-1, the following shall be added, namely:-

"FORM-1A

(See rule 13)

APPLICATION FOR CHILD CARE LEAVE

1. Name of the Applicant
2. Designation
3. Department/Office/Section
4. Name of Child for whom Child Care
leave is applied for
5. Date of Birth of the Child
- (Attach birth certificate)
6. Date on which child will be attaining 18
years
7. Is the child among the two eldest
Children Yes/No
8. EL in credit (as on date of application)
9. Period of Leave Days From.....To.....
Prefix/Suffix of holiday, if any
10. Reason (s) for leave applied for
11. Total Child Care Leave availed till date
12. (a) Whether permission to leave
headquarters is requested Yes/No
(b) if yes, Address during leave period
-
.....
.....
13. Date of return from last leave, nature
and period of that leave

Date.....

Signature of applicant

Employee Code No.....

Remarks of Controlling Officer

Leave Recommended/Leave Not Recommended

Date:

Signature

Designation

Office.....

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh



(S.K. Chakraborty)

Joint Secretary